न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः — 238 / 2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2022 / 677

1. चेनराम पुत्र नारायण जी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मैलाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. शंकरीबाई पत्नी नारायण जी जाति अहीर आयु मैलाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० वयस्क निवासी

— प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कन्हैयालाल जी जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी मैलाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री विशाल कुमावत — अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक :— 09.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मौजा मैलाना प०ह० मैलाना तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 288 कीआराजी नं0 420 रकबा 0.6900 हैक्टेर भूमि स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड गे प्रार्थी नं01 की बहन एवं प्रार्थी नं0 2 की पुत्रीयों द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 19 / 06 / 2023 को माया, रामकन्या ,श्यामा पुत्री नारायण द्वारा अपने हक हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग कर दिया तथा हक त्याग पत्र रिलिज डीड का निष्पादन दिनांक 19 / 06 / 2023 को करा 19 / 06 / 2023 को पंजीकृत करा दिया तथा माया, रामकन्या व श्यामा का उत्क़्त आराजीयात में अपना सम्पूण हक प्रार्थीगण के पक्ष में छोड दिया और कोई हक हिस्सा नही रखा। इसलिए माया, रामकन्या व श्यामा को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया।

3. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण का संयुक्त 43 / 69 हक हिरसा. यानि प्रार्थी नं० 1 का 43 / 138 हक हिस्सा तथा प्रार्थी नं0 2 का 43 / 138 हक हिस्सा तथा विपक्षी नं० 1 का 26 / [illegible] हक हिस्सा हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी नं० 1 राजस्व रेकार्ड में दर्ज [illegible] हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात [illegible] खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर [illegible] रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन प्रार्थीगण व विपक्षी नं० '1 के मध्य विवाद होता रहता हैं इसलिए प्रार्थीगण ने विपक्षी नं० 1 को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार, व नौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

विपक्षी नं० 1 को कहा तो विपक्षी नं0 1 टाल चाल कर रहा हैं, तथा बटवाडा कराने से इंकार हो गया है, तथा प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी नं० 1 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं० 1 किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है, तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की वादग्रस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु पहुंच मार्ग, को बंद कर नष्ट करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा मौके पर काबिज अनुसार, व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी नं० 1 का 43/138 हक हिस्सा तथा प्रार्थी नं0 2 का 43/138 हक हिस्सा तथा विपक्षी नं० 1 का 26/69 हक हिस्से का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा कर अलग कराने का प्रार्थीगण अधिकारी हैं, तथा विपक्षी नं0 1 का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बदस्तुर शामील रखाने के अधिकारी हैं, तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे की वादग्रस्त आराजियात पर आने जाने हेतु बने हुवे पहुंच मार्ग को सुनिश्चित कर कायम रखाने का अधिकारी हैं।

4. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी नं0 1 का 43/138 हक हिस्सा तथा प्रार्थी नं० 2 का 43/138 हक हिस्सा तथा विपक्षी नं० 1 का 26/69 हक हिस्सा निहित हैं, तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी नं० 1 राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन प्रार्थीगण व विपक्षी नं01 के मध्य विवाद होता रहता हैं तथा विपक्षी नं० 1 प्रार्थीगण के हकहिस्से की आराजीयात को अपनी होना बता कर प्रार्थीगण की कब्जे शुदा आराजीयात में जबरन अनाधिकृत रुप से गढ्ढे खोद कर दिवार बनाने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा करने पर आमादा हैं, इसलिए प्रार्थीगण ने विपक्षी नं0 1 को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे हैं, तथा बटवाडा कराने से इंकार हो गये हैं और वादग्रस्त आराजीयात को बगैर बटवारा कराये हस्तांतारण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हैं, तथा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने वाले पहुंच मार्ग को हांक जोत कर नष्ट करने पर आमादा है व रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं, तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की आराजीयात के उपयोग उपभोग मे जबरन बाधा पैदा कर रहे है तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं, प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी विपक्षीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही हैं। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की पुश्तेनी पेतृक खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेशः—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्राथी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है ग्राम मैलाना पटवार हल्का मैलाना तहसील निम्बाहेडा के आराजी संख्या 420 रकबा 0.6900 हैक्टेयरकृषि भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested